आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 913/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा– आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा, 101–110, प्रथम तल, अनुकम्पा टॉवर, चर्च रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

ऋण खाता (अ)

1. मैसर्स रामजीलाल सत्यप्रकाश (पार्टनरशिप फर्म ऑफ श्री आशीष डंगायच एवं श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल),
   पताः– पी–60(788), कोतवाली सरहद छोटी चौपड़, खंदा मार्केट, जयपुर।
2. श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री रामजीलाल खण्डेलवाल,
3. श्री आशीष डंगायच पुत्र श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल,
4. श्री अभिषेक डंगायच पुत्र श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल,
5. श्रीमती मधु डंगायच पत्नी श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल,
   प्लॉट नं. 218, जगन्नाथपुरी, कांटा चौराहा, झोटवाड़ा, जयपुर।
6. मैसर्स आर. एस. एन्टरप्राईजेज,
   पताः– बीएचए–7, कृषि उपज मण्डी(ग्रेन), सूरजपोल मेन मण्डी यार्ड, जयपुर।
7. मैसर्स आर. एस. ओवरसीज जरिये प्रोपराईटर श्री अभिषेक डंगायच,
   पताः– जी–880, रोड़ नं.14, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीकर रोड़, जयपुर।
8. मैसर्स आर. एस. पल्सेज प्रोपराइटरशिप फर्म ऑफ श्रीमती मधु डंगायच,
   पताः– ए–73, कृषि उपज मण्डी, कूकरखेड़ा, सीकर रोड़, जयपुर।
9. मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी,
   पताः– जी–12, कृषि उपज मण्डी(ग्रेन) मेन यार्ड, सूरजपोल, जयपुर।

ऋण खाता (ब)

1. मैसर्स आर. एस. ओवरसीज जरिये प्रोपराईटर श्री अभिषेक डंगायच,
   पताः– जी–880, रोड़ नं.14, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीकर रोड़, जयपुर।
2. श्री अभिषेक डंगायच प्रोपराईटर मैसर्स आर एस ओवरसीज,
3. श्री आशीष डंगायच पुत्र श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल,
4. श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री रामजीलाल खण्डेलवाल,
5. श्रीमती मधु डंगायच पत्नी श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल,
   पता– प्लॉट नं. 218, जगन्नाथपुरी, कांटा चौराहा, झोटवाड़ा, जयपुर।
6. मैसर्स आर. एस. पल्सेज प्रोपराइटर श्रीमती मधु डंगायच,
   पताः– ए–73, कृषि उपज मण्डी, कूकरखेड़ा, सीकर रोड़, जयपुर।
7. मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी जरिये श्री आशीष डंगायच एवं श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल,
   पताः– जी–12, कृषि उपज मण्डी(ग्रेन) मेन यार्ड, सूरजपोल, जयपुर।
8. मैसर्स आर. एस. एन्टरप्राईजेज प्रोपराईटरशिप फर्म ऑफ श्री अभिषेक डंगायच,
   पताः– बीएचए–7, कृषि उपज मण्डी(ग्रेन), सूरजपोल मेन मण्डी यार्ड, जयपुर।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

ऋण खाता (स)

1. मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी,
   पताः– जी–12, कृषि उपज मण्डी(ग्रेन) मेन यार्ड, सूरजपोल, जयपुर।
2. श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री रामजीलाल खण्डेलवाल,
3. श्री आशीष डंगायच पुत्र श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल,
4. श्री अभिषेक डंगायच पुत्र श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल,
5. श्रीमती मधु डंगायच पत्नी श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल,
   प्लॉट नं. 218, जगन्नाथपुरी, कांटा चौराहा, झोटवाड़ा, जयपुर।
6. मैसर्स आर. एस. एन्टरप्राईजेज प्रोपराईटरशिप फर्म ऑफ श्री अभिषेक डंगायच,
   पताः– बीएचए–7, कृषि उपज मण्डी(ग्रेन), सूरजपोल मेन मण्डी यार्ड, जयपुर।
7. मैसर्स आर. एस. ओवरसीज जरिये प्रोपराईटर श्री अभिषेक डंगायच,
   पताः– जी–880, रोड़ नं.14, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीकर रोड़, जयपुर।
8. मैसर्स आर. एस. पल्सेज प्रोपराइटर श्रीमती मधु डंगायच,
   पताः– ए–73, कृषि उपज मण्डी, कूकरखेड़ा, सीकर रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री सत्येन्द्र प्रसाद खोरानियां, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश **दिनांकः 11.07.2023**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के अनुसार अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **1. मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी जरिये भागीदार श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल एवं श्री आशीष डंगायच के स्वामित्त्व की व्यवसायिक संपत्ति दुकान नं. जी–12,कृषि उपज मण्डी, सूरजपोल(मेन मण्डी याडी), जयपुर, कुल क्षेत्रफल 116.17 वर्गमीटर, 2. श्री आशीष डंगायच के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. बी–4, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 200 वर्गगज, 3. श्री अभिषेक डंगायच के स्वामित्त्व की व्यवसायिक संपत्ति दुकान नं. भ–7, प्लेटफार्म सहित, कृषि उपज मण्डी, सूरजपोल, जयपुर, क्षेत्रफल 65.06 वर्गमीटर एवं 4. श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल के स्वामित्त्व की व्यवसायिक संपत्ति दुकान नं. पी–60, चौकड़ी सरहद, कोतवाली, छोटी चौपड़, खन्दा, जयपुर, क्षेत्रफल 40.34 वर्गगज** को बन्धक रख कर जरिये **ऋण खाता संख्या (अ)** 427505010000288 में राशि 01,60,00,000/– रूपये, ऋण खाता संख्या 427506990000060 में राशि 25,00,000/– रूपये, कुल राशि 01,85,00,000/– रूपये, **ऋण खाता संख्या (ब)** 427505010000289 में राशि 03,58,00,000/– रूपये, ऋण खाता संख्या 427506990000058 में राशि 60,00,000/– रूपये, कुल राशि 04,18,00,000/– रूपये, **ऋण खाता संख्या (स)** 427505010000287 में राशि 02,40,00,000/– रूपये , ऋण खाता संख्या 427506990000059 में राशि 45,00,000/– रूपये, कुल राशि 02,85,00,000/– रूपये, इस प्रकार **ऋण खाता (अ), (ब) व (स)** में कुल राशि **08,88,00,000/–** रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **05.**

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

08.2022 को पृथक–पृथक खाता संख्या हेतु पृथक–पृथक रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय बैंक के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि **08,88,00,000/–** रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि **08,72,32,855.80/–** रूपये जमा कराने हेतु अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन दिनांक **05.08.2022** को पृथक–पृथक नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिसों का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगण के स्वामित्त्व की बंधक संपत्तियों **1. मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी जरिये भागीदार श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल एवं श्री आशीष डंगायच के स्वामित्त्व की व्यवसायिक संपत्ति दुकान नं. जी–12,कृषि उपज मण्डी, सूरजपोल(मैन मण्डी याडी), जयपुर, कुल क्षेत्रफल 116.17 वर्गमीटर, 2. श्री आशीष डंगायच के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. बी–4, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 200 वर्गगज, 3. श्री अभिषेक डंगायच के स्वामित्त्व की व्यवसायिक संपत्ति दुकान नं. भ–7, प्लेटफार्म सहित, कृषि उपज मण्डी, सूरजपोल, जयपुर, क्षेत्रफल 65.06 वर्गमीटर एवं 4. श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल के स्वामित्त्व की व्यवसायिक संपत्ति दुकान नं. पी–60, चौकड़ी सरहद, कोतवाली, छोटी चौपड़, खन्दा, जयपुर, क्षेत्रफल 40.34 वर्गगज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **11.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(कलक्टर) जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner